भारत का संघ और अन्य

बनाम

महज़बीन अख्तर

1 नवंबर, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

सेवा कानूनः

वेतनमान-संशोधन में-उर्दू भाषा संवर्धन ब्यूरो (बी. पी. यू.) में काम करने वाले अनुसंधान सहायक को वेतनमान रु.1640-2900 - बी. पी. यू. के स्थान पर एन. सी. पी. यू. एल. का गठन- बी. पी. यू. के कर्मचारियों को विकल्प दिया गया- या तो एन. सी. पी. यू. एल. में स्थानांतरित हो जाये या सरकारी विभाग में काम करना जारी रखे- उत्तरदाता ने सरकार में अधिशेष के रूप बने रहने का विकल्प चुना- लाइब्रेरियन के रूप में तैनात- वेतन उन्नत करने के लिए आवेदन- अधिकरण ने इस आधार स्वीकार किया कि बी. यू. पी. और सी. एच. डी., सी. आई. आई. एल. जैसे संस्थानों में अनुसंधान सहायक समान रूप से योग्य और समान कार्य करना- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः समान काम के लिए समान वेतन सिद्धांत लागू नहीं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पदधारियों के कर्तव्यों की प्रकृति अन्य विभागों में अलग है-भारत संघ के रूप में पहले से ही अपने दिमाग को

लागू किया है और प्रतिवादी के वेतन को संशोधित किया है, यह उत्तरदाता के लिए था कि वह दिखाये कि उसके साथ भेदभाव किया गया था- न ही वास्तव में और न ही कानून में, भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी गई- तथापि, अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता को पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी- वेतनमान- निर्धारण- निर्धारित करने वाले कारक- बताए गए- भारत के संविधान 1950-अनुच्छेद 14,39 (डी), 142- समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत।

प्रतिवादी को उर्दू भाषा के तकनीकी सहायक के रूप में उर्दू भाषा संवर्धन ब्यूरो (बी. पी. यू.) में नियुक्त किया गया था। वह Rs.550-900 के वेतनमान में अनुसंधान सहायक के रूप में पदोन्नत की गई। उक्त वेतनमान को चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित कर Rs.1640-2900 कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने बी. पी. यू. के स्थान पर राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एन. सी. पी. यू. एल.) का गठन किया। एनसीपीयूएल ने 1.4.1996 को शुरुआत की। बी. पी. यू. के कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था की या तो सरकारी विभाग में काम करना जारी रखे या स्वयं को एन. सी. पी. यू. एल. में स्थानांतरित करें। उत्तरदाता ने सरकारी सेवा चुना। इसलिए, उनके नाम को पुनः तैनाती के लिए अधिशेष कक्ष के रूप में संदर्भित किया गया था। उसे नेशनल

गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। और सहायक लाइब्रेरियन और सूचना सहायक के रूप में नामित किया। उसके वेतन को Rs.6500-10500 पैमाने में उन्नत किया गया था। निर्विवाद रूप से 5500-9000 वेतन का पैमाना Rs.1640-2900 के रूप संशोधित किया गया था।

पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप प्रत्यर्थी ने उन्नयन के लिए एक अभ्यावेदन दायर किया- उसका उक्त वेतनमान स्वीकार नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा उसके आवेदन पर शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों में अनुसंधान सहायक, एक और बी. पी. यू. और दूसरी ओर सीएचडी, सीएसटीटी, सीआईआईएल में अनुसंधान सहायक के पद की योग्यताओं, कार्यों और जिम्मेदारियों में समानता को देखते हुए उसके पैमाने के सादृश्य के आधार पर अनुमति दी गई थी- हाईकोर्ट ने कर्तव्यों के निर्वहन की समान प्रकृति समानता के सिद्धांत के आधार पर रिट याचिका खारिज की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि योग्यता की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारक स्पष्ट रूप से इंगित करतें है कि लाइब्रेरियन का पद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान सहायक का पद बराबर नहीं है।

न्यायालय ने की गई टिप्पणियों को देखते हुए अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1. उत्तरदाता को वेतन के पैमाने में अंतर के अनुसार केवल एक छोटी अवधि के लिए राशि का भुगतान किया गया है। वह केवल कुल 7000 रूपये औरअतिरिक्त राशि की अधिकारी रही है।संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश दिया कि पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 27]

2.1. नियुक्ति, पदोन्नति के संबंध में अपेक्षित मानदंड, हस्तांतरण के साथ-साथ द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति सहायक (अन्य भाषाएँ) बनाम अनुसंधान सहायक (उर्दू) अलग हैं। अनुसंधान सहायक के लिए अंग्रेजी का ज्ञान (उर्दू) आवश्यक नहीं है जबकि अनुसंधान सहायक (हिंदी) के लिए आवश्यक है और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी यही आवश्यक है। [पैरा 17]

2.2. सी. आई. आई. एल. के अनुसंधान सहायक के लिए आवश्यक योग्यताएँ बिल्कुल अलग हैं। जहाँ तक अनुसंधान सहायक से अनुसंधान सहायक (हिंदी) में पदोन्नति हेतु शैक्षिक योग्यताओं का संबंध है, भिन्न-भिन्न का शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग है। अनुसंधान सहायक उर्दू भाषा के संबंध में

अधिकारी जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं की सहायता की आवश्यकता होती है जबकि हिंदी में अनुसंधान सहायकों और सी. आई. आई. एल. के अनुसंधान सहायकों को योजना के कार्यान्वयन में सहायता करने की आवश्यकता है। न्यायाधिकरण और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय कर सकता है अतः यह मत रखना सही नहीं होगा कि शैक्षणिक योग्यताएँ कर्तव्य की प्रकृति भी समान होने के कारण, प्रत्यर्थी का वेतन के उक्त पैमाने का लाभ अधिकार था। [पैरा 18]

3. बड़ी संख्या में कारक, अर्थात्, शैक्षिक योग्यता, शुल्क की प्रकृति, जिम्मेदारी की प्रकृति, भर्ती की विधि की प्रकृति आदि वेतनमान के निर्धारण के मामले में समानता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं।[पैरा 19]

सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य। [1993] Supp.1 एससीसी 153; यू. पी. और अन्य का राज्य बनाम जे. पी. चौरसिया और अन्य,[1989] 1 एस. सी. सी 121; भारत संघ और अन्य बनाम प्रदीप कुमार डे, [2000] 8 एस. सी. सी 580; और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय निजी कर्मचारी एसोसिएशन, [2002] 6 एस. सी. सी. 72, पर विश्वास किया।

पश्चिम बंगाल सरकार बनाम ट्रॉन के. रॉय और अन्य, [2004]1 एससीसी 347;यू. पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम संत

राज सिंह और अन्य, [2006] 9 एस.सी.सी.82; और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह व अन्य [2006] 9 एस. सी. सी. 321, संदर्भित।

4. इसलिए इस मामले में प्राप्त तथ्यों पर, समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्यों की प्रकृति और अन्य प्रासंगिकता का आधार पर यह मामला अलग है। आम तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान विभागों को समान और समान पैमाने पर माना जाना चाहिए प्रत्यर्थी ने तदर्थ स्थान पर अपनी सेवा नहीं चुनी। उसने सरकारी सेवा अधिशेष के रूप में चुनी। उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में सूची में रखा गया था। उन्हें सहायक लाइब्रेरियन और सूचना सहायक के रूप में नामित किया गया था। उनका वेतनमान Rs.6500-10500 पर निर्धारित किया गया था जो वेतन का संशोधित पैमाना था। उनके मामले में स्वीकृत तौर पर पांचवें वेतन संशोधन आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है। यदि किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा शैक्षिक योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च श्रेणी में वेतन के पैमाने को फिर से तय किया गया है, तो इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। यह भारत संघ के लिए अच्छा कारण निर्धारित करने के लिए था उसे वेतन के एक अलग पैमाने पर रखना यह किया जा चुका है। न केवल आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ अलग हैं, बल्कि कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग

है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) और साथ ही संविधान का अनुच्छेद 14 को इस आधार पर लागू किया जाना चाहिए कि समानता खंड उन लोगों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए जो हर तरह की स्थिति में समान हैं [पैरा 24]

टेनरी एंड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य, [1991] सप. 2 एस. सी. सी. 565; और अलवारो नोरोन्हा फेरेरा और अन्र वी. भारत संघ और अन्य, [1999] 4 एस. सी. सी. 408, पर भरोसा किया।

5. जैसा कि भारत संघ ने पहले ही अपना मस्तिष्क लगा लिया है और प्रतिवादी के वेतन को Rs.5500-9000 के वेतनमान में संशोधित किया है, यह प्रत्यर्थी को यह दर्शित करना था कि उसके खिलाफ भेदभाव किया गया था। न तो वास्तव में और न ही कानून में, भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है। [पैरा 25]

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. यू. पी. बिक्री कर अधिकारी ग्रेड II एसोसिएशन, [2003] 6 एस. सी. सी. 250; और हरियाणा राज्य शिक्षक संघ भारत संघ बनाम। महाबीन अख्तर [सिन्हा, जे.] 811 & अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1988] 4 एस. सी. सी. 571, संदर्भित।

6.1. न्यायाधिकरण का निष्कर्ष यह था कि बी.यू.पी. और केंद्रीय हिन्दू निर्देशालय और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आदि संस्थानों में

अनुसंधान सहायकों के पद पर पदधारी समान रूप से योग्य है और वे समान कायर् कर रहे है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। परिणामस्वरूप अधिकरण द्वारा उक्त निष्कर्ष गलत निकाला गया। इसके अलावा गणीतिय सटीकता वाले किसी सूत्र को इस प्रकृति की स्थिति में सेवा में नहीं लाया जा सकता। इसलिये, अधिकरण और परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय, उक्त निर्णय पर पहुंचने में सही नहीं थे।

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम मंजीत सिंह और अन्य, [2006] 8 एस. सी. सी. 647, पर भरोसा किया।

6.2. अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी के पक्ष में राहत नहीं दी जाती है। [पैरा 28]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5087/2007 .

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली का डब्ल्यू. पी.(ग) सं. 3719/2002 में अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 19.8.2004 से

ए.शरण,ए.एस. जी., सुनीता शर्मा और सुषमा सूरी याचिकाकर्ता।

प्रतिवादी के लिए सुधीर कुलश्रेष्ठ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था:-

एस.बी.सिन्हा, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत की प्रयोज्यता प्रश्न में है, जो 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 3719 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 19.08.2004 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 2000 के मूल आवेदन संख्या 52 में पारित दिनांक 11.9.2000 के आदेश पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी को उसके पक्ष में परिणामी लाभ के साथ 6500-10500 रुपये के प्रतिस्थापन वेतनमान देने के सवाल पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

3. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है.

4. यहां प्रतिवादी को उर्दू भाषा संवर्धन ब्यूरो में उर्दू भाषा के तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 425-700 रुपये के वेतनमान पर रखा गया था. उन्हें 550-900 रुपये के वेतनमान पर अनुसंधान सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था। चौथे वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों पर उक्त वेतनमान को संशोधित कर 1640- 2900 रुपये कर दिया गया।

5. केंद्र सरकार ने उर्दू भाषा संवर्धन ब्यूरो के स्थान पर राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) का गठन किया। एनसीपीयूएल ने

1.4.1996 से कार्य करना शुरू किया। ब्यूरो के कर्मचारियों को विकल्प दिया गया कि या तो वे सरकारी विभाग में काम करना जारी रखें या खुद को एनसीपीयूएल में स्थानांतरित करा लें। प्रतिवादी ने सरकारी सेवा का विकल्प चुना। इसलिए, उसका नाम पुनः तैनाती के लिए अधिशेष सेल के रूप में संदर्भित किया गया था। उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और सहायक लाइब्रेरियन और सूचना सहायक के रूप में नामित किया गया। उनका वेतन 6500-10500 रुपये के पैमाने पर उन्नत किया गया।

6. निर्विवाद रूप से, 1640-2900 रुपये के वेतनमान को संशोधित कर 5500-9000 रुपये कर दिया गया।

7. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने अपने वेतनमान के उन्नयन के लिए एक अभ्यावेदन दायर किया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। दिनांक 11.9.2000 के एक आदेश के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दी। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में आवेदन सफल होता है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सीएचडी, सीआईआईएल, सीएसआईटी में 01.01.96 से आवश्यक योग्यता, जिम्मेदारियों में कार्यों की समानता को ध्यान में

रखते हुए, आवेदक को 6500-10500/- रुपये के प्रतिस्थापन वेतनमान देने पर विचार करें। परिणामी लाभ यह आदेश प्राप्त होने के चार माह के भीतर किया जाना चाहिए। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी (इस प्रकार)।

विद्वान न्यायाधिकरण ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर अभिनिर्धारित किया कि :-

> ''बीपीयू सहित सभी संस्थान 01.01.1996 को काम कर रहे थे जब 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। बीपीयू को 31.3.1996 को ही समाप्त कर दिया गया था, और इसलिए, कोई कारण नहीं है कि बीपीयू में अनुसंधान सहायक के साथ एक अलग मामले में व्यवहार किया जाना चाहिए था।''

8. उक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया है:

''उसके OA में प्रतिवादी का मामला यह था कि उर्दू ब्यूरो और अन्य सहयोगी विभागों में अनुसंधान सहायक का पद 31.12.1995 तक 1640-2900 रुपये के वेतनमान में था और पदधारियों के लिए भी आवश्यक योग्यताएँ समान थी और किए गए कर्तव्य, कार्य भी प्रकृति में समान थे और इसलिए, यदि अनुसंधान सहायक का पद उसी शिक्षा विभाग के तहत

उन विभागों में 6500-10500 रुपये के वेतनमान में रखा गया था, तो वह भी समानता के सिद्धांत पर समान वेतनमान की हकदार थी। हमने पाया कि OA को दिए गए अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका कोई विशेष खंडन या प्रतिरोध नहीं किया गया है। उनके रुख सामान्य शब्दों में मेल खाते प्रतीत होते हैं। वे इस ग़लतफ़हमी से भी पीड़ित प्रतीत होते हैं कि चूंकि उर्दू ब्यूरो (एनसीपीयूएल) में अनुसंधान सहायक का पद समाप्त कर दिया गया था, इसलिए, अन्य सहयोगी विभागों में अनुसंधान सहायक को दिए गए वेतनमान की समानता उन पर लागू नहीं की जा सकती थी। जो बात छूट गई वह यह है कि प्रतिवादी कर्तव्यों के निर्वहन की प्रकृति आदि में समानता के आधार पर शिक्षा विभाग के तहत अन्य कार्यालयों में अनुसंधान सहायकों के बराबर संशोधित वेतनमान की मांग कर रहा था, जिसका याचिकाकर्ता ने विरोध नहीं किया था और जिससे वह इस संबंध में किसी भी इनकार के अभाव में हकदार थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने एक ओर ब्यूरो में और दूसरी ओर सीएचडी, सीएसटीटी, सीआईआईएल में अनुसंधान सहायक के पद की योग्यता कार्यों और जिम्मेदारियों में समानता को देखते हुए याचिकाकर्ता को शिक्षा के अन्य कार्यालयों में अनुसंधान सहायक को दिए गए वेतनमान के अनुरूप 1.1.1996 से 6500-10500 रुपये का वेतनमान देने के लिए इस प्रतिवादी पर विचार करने का निर्देश देकर गलत किया है। तदनुसार, न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की जाती है और याचिका का निपटारा किया जाता है।''

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमरेंद्र शरण ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे इस पर विचार करने में विफल रहे हैं कि योग्यता की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारक स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि लाइब्रेरियन का पद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान सहायक के पद के बराबर नहीं है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कुलश्रेष्ठ यह तर्क प्रस्तुत करें कि प्रतिवादी 1.1.1996 को उर्दू भाषा संवर्धन ब्यूरो की नौकरी में था, जिस तिथि से उसकी सिफारिशें की गईं। पांचवां वेतन आयोग लागू हो गया है, आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग औरप्रमोशन ब्यूरो सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जाता है।

12. जहां तक उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताओं का सवाल है, निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं बताई गई हैं:

"(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष।

(ii) 2 वर्ष एम.ए. के मामले में / 3 वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर उर्दू को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया होना चाहिए। या एमए/एमएससी के मामले में 3 साल की डिग्री स्नातक के दूसरे वर्ष तक उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में लिया होना चाहिए। एम.कॉम या एम.एससी/एम.कॉम के मामले में हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर उर्दू लिया होना चाहिए, जहां डिग्री स्तर पर उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में पेश करने का प्रावधान नहीं है।

(iii) उर्दू में शिक्षण या शब्दावली और/या अनुवाद/संपादन कार्य का एक वर्ष का अनुभव

नोट 1: अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर छूट योग्य है।

नोट 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यता संघ लोक

सेवा आयोग के विवेक पर छूट योग्य है, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि अनुभव पर्याप्त है। इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय: उर्दू के अलावा एक या अधिक आधुनिक भारतीय भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान।''

13. हालाँकि, हिंदी भाषा के संबंध में निर्धारित योग्यताएँ इस प्रकार हैं:

''(i) अनुसंधान सहायक (हिंदी) के पद के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या संस्कृत में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया होना चाहिए।

(ii) अनुसंधान सहायक (क्षेत्रीय भाषा) के पद के लिए, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के ज्ञान के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ संबंधित क्षेत्रीय भाषा में मास्टर डिग्री। परीक्षा स्तर. (क्षेत्रीय भाषा

में केवल वे भाषाएँ शामिल हैं जिन्हें हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है)

(iii) चिकित्सा के ज्ञान की आवश्यकता वाले पद के लिए: भारतीय चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली में डिग्री, भारतीय चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक/आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी या आयुर्वेद/फार्मेसी में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से हिंदी और अंग्रेजी के साथ समकक्ष अनिवार्य/ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा स्तर पर वैकल्पिक विषय।

(iv) इंजीनियरिंग के ज्ञान की आवश्यकता वाले पद के लिए: (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, कपड़ा, खनिज चमड़ा प्रौद्योगिकी): अनिवार्य / वैकल्पिक के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय या समकक्ष का डिप्लोमा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा स्तर के रूप में विषय।

(v) अनुसंधान सहायक (प्रबंधन)/अनुसंधान सहायक (सार्वजनिक प्रशासन) के पद के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्रमशः प्रबंधन/लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष,

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान। स्तर या समकक्ष.

(vi) अनुसंधान सहायक (पत्रकारिता) के पद के लिए: माध्यमिक विद्यालय परीक्षा स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ पत्रकारिता/जनसंचार में डिप्लोमा के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री।

(vii) उपरोक्त उल्लिखित विषयों के अलावा किसी अन्य विषय में पदों के लिए: माध्यमिक विद्यालय परीक्षा स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी और हिंदी के साथ संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष।

नोट 1: अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर छूट दी जा सकती है।

नोट 2: चयनित उम्मीदवारों को अपनी परिवीक्षा के दौरान एक विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा।

वांछनीय: केवल अनुसंधान सहायक (हिंदी) के पदों के लिए: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुवाद या अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान या कार्यात्मक हिंदी में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा।"

14. सीआईआईएल में अन्य भाषाओं के लिए आवश्यक आवश्यक योग्यताएं निम्नानुसार बताई गई हैं:

''(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से भाषाई/ तुलनात्मक भाषा शास्त्र/भारतीय भाषा और साहित्य/मनोविज्ञान/ शिक्षा/ समाजशास्त्र /मानवविज्ञान /लोकगीत /सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।

(ii) एक वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव।

(iii) भाषा विज्ञान या तुलनात्मक भाषाविज्ञान में कला के मास्टर के मामले में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में किसी भी भारतीय भाषा में प्रवीणता या भाषा विज्ञान और तुलनात्मक के अलावा अन्य विषय में कला के मास्टर के मामले में डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में प्रवीणता भाषाशास्त्र।

नोट 1: भर्ती के समय विशिष्ट आवश्यकता बताई जाएगी।''

15. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण और ग्रेड से भर्ती के मामले में जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है, निम्नलिखित अपेक्षित योग्यताएं हैं:

"उर्दू

पदोन्नति:

तकनीकी सहायक (उर्दू) ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ उर्दू को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो में कार्यरत है।

स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति :

(ए) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी:

(i) समान पद धारण करना; या

(ii) 425-700 रुपये या समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर 5 साल की सेवा के साथ; और

(बी) कॉलम-7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर हिंदी स्थानांतरण :

केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी

(ए) (i) नियमित आधार पर नियमित पदों पर समान पद धारण करना, या

(ii) 1400-2300/2600 रुपये के वेतनमान में पद पर 5 साल की नियमित सेवा के साथ या

(iii) 950-1500 रुपये या समकक्ष वेतनमान में पद पर 15 वर्ष की नियमित सेवा।

(बी) कॉलम 8 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं। (केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आयोजित किसी अन्य पूर्व कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः होगी) 3 वर्ष से अधिक नहीं। स्थानांतरण सहित प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

16. अब हम इन श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक कर्तव्यों की विभिन्न प्रकृति पर विचार कर सकते हैं:

''उर्दू

विभिन्न चरणों में प्रकाशन कार्यक्रम बीपीयू को लागू करने में उस अधिकारी की सहायता करना जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं। इसमें विषयों के पैनल को पिघलाने का आयोजन, उनके निर्णयों को लागू करना, एमएसएस की जांच करना और संपादित करना, शब्दावली समिति की बैठक का आयोजन करना और तकनीकी शब्दों की शब्दावली तैयार करना, उपरोक्त सभी गतिविधियों के

रिकॉर्ड का रखरखाव और समय-समय पर बीपीयू की गतिविधि आवंटित कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रामिंग करना शामिल है।

हिंदी

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत पत्रिकाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों की तैयारी, विदेशी भाषाओं में शब्दकोशों की तैयारी में सहायता करना।

अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ

गैर-अनुसूचित भाषाओं सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषाई और सामग्री उत्पादन में सहायता करना।''

17. ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के साथ-साथ अनुसंधान सहायक (उर्दू) के पदों के पदधारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में अपेक्षित मानदंड अलग-अलग हैं। रिसर्च असिस्टेंट (उर्दू) के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक नहीं है, जबकि रिसर्च असिस्टेंट (हिंदी) और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है।

18. जहां तक सीआईआईएल के लिए अनुसंधान सहायक का सवाल है, इसलिए आवश्यक योग्यताएं बिल्कुल अलग हैं। जहां तक अनुसंधान सहायक से अनुसंधान सहायक (हिंदी) के पदधारियों द्वारा उक्त पद पर

पदोन्नति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, इसलिए भी अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग-अलग होती है। जबकि उर्दू भाषा के संबंध में अनुसंधान सहायकों को उस अधिकारी की सहायता करने की आवश्यकता होती है जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं, हिंदी में अनुसंधान सहायकों और सीआईआईएल के अनुसंधान सहायकों को योजना के कार्यान्वयन में सहायता करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय की यह राय सही नहीं हो सकती है कि शैक्षणिक योग्यता और कर्तव्य की प्रकृति समान होने के कारण, प्रतिवादी उक्त वेतनमान के लाभ का हकदार था।

19. इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस प्रश्न पर विचार किया गया, जिसमें यह बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बड़ी संख्या में कारक, अर्थात् शैक्षिक योग्यता, कर्तव्य की प्रकृति, जिम्मेदारी की प्रकृति, भर्ती की विधि की प्रकृति आदि वेतनमान के निर्धारण के मामले में समकक्षता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होगा। देखें सचिव ,वित्त विभाग एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य [1993] अनुपूरक(1) एससीसी 153; उतर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जेपी चौरसिया और अन्य (1989) 1 एससीसी 121 भारत संघ एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार डे (2000) 8 एससीसी 580 और

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन (2002) 6 एससीसी 72।

20. पश्चिम बंगाल सरकार बनाम ट्रौन के. रॉय एवं अन्य (2004 (1) एससीसी 347) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> ''राज्य की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का प्रश्न तभी उठेगा जब व्यक्तियों को समान रूप से रखा जाएगा। अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड, दूसरे शब्दों में, वहां कोई लागू नहीं होगा जहां व्यक्ति समान रूप से स्थित नहीं हैं या जब उचित अंतर के आधार पर वैध वर्गीकरण होता है।''

21. यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम संत राज सिंह औरअन्य [(2006) 9 एससीसी 82], में इस न्यायालय ने राय दी:

''समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) के साथ उसके अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाता है , को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक योजना उन लोगों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की परिकल्पना करती है जो सभी मामलों में समान स्थान पर हैं।उच्च योग्यता रखने को इस न्यायालय द्वारा कर्मचारियों की दो श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार माना गया है।''

22. इसी सिद्धांत को हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा चरणजीत सिंह और अन्य में दोहराया गया था। [(2006) 9 एससीसी 321]।

23. हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं हैं जिसमें संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन का भुगतान इस आधार पर करने का निर्देश दिया गया है कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों और कार्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि संबंधित कर्मचारी थे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करना {देखें टेनेरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य । [1991 अनुपूरक (2) एससीसी 565]} या जहां केंद्र शासित प्रदेश कैडर की तुलना में राज्य कैडर में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतनमान तय किया जाना है {[अल्वारो नोरोन्हा फेरिएरा और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। [(1999) 4 एससीसी 408]} लेकिन यहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा अलग-अलग वेतनमान की सिफारिश की गई थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पोस्टिंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश की जाती है।

24. इसलिए, इस मामले में प्राप्त तथ्यों पर, हमारी राय है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मामला अलग हो सकता था, यदि वेतनमान शैक्षिक योग्यता, कर्तव्यों की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया होता। हम इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को एक समान माना जाना चाहिए तथा समान वेतनमान की अनुशंसा की जानी चाहिए। प्रतिवादी ने अपनी सेवाओं को प्रतिनियुक्ति पर रखने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने अधिशेष के रूप में सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प चुना। उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में सूची में रखा गया था। उन्हें सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना सहायक के रूप में नामित किया गया था। उनका वेतनमान 6500-10500 रुपये निर्धारित किया गया था जो संशोधित वेतनमान था। उनके मामले पर पांचवें वेतन संशोधन आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है। यदि किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा शैक्षिक योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च श्रेणी में वेतनमान को दोबारा तय किया गया है, तो कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। यह स्वीकार किया गया कि यह भारत संघ का काम था कि वह उसे अलग वेतनमान में रखने के लिए उचित कारण बताए। यह हो गया है। हमने यहां पहले देखा है कि न केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग हैं, बल्कि कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग-अलग है। भारत के संविधान के

अनुच्छेद 39 (डी) और अनुच्छेद 14 को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर लागू किया जाना चाहिए कि समानता खंड उन लोगों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए जो सभी मामलों में समान स्थिति में हैं।

25. श्री कुलश्रेष्ठ ने यूपी और अन्य राज्यों पर मजबूत निर्भरता रखी है । वी. यूपी सेल्स टैक्स ऑफिसर्स ग्रेड II एसोसिएशन 2003 (6) एससीसी 250]। उस मामले में वेतन पुनरीक्षण आयोग ने कर्मचारियों के एक समूह के मामलों पर विचार नहीं किया। उपर्युक्त आधार पर, उन्हें उस वेतनमान का हकदार माना गया जो समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दिया गया था। हम यहां ऐसे किसी मुद्दे से चिंतित नहीं हैं क्योंकि प्रतिवादी के मामले पर विचार किया गया है और उसे संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है। जिस सरकार के पास विसंगति को दूर करने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र था, उसके लिए यह आवश्यक नहीं था जैसा कि इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य अध्यापक संघ और अन्य के मामले में माना है। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। [(1988) 4 एससीसी 571], जिस पर श्री कुलश्रेष्ठ ने भरोसा किया। चूंकि भारत संघ ने पहले ही अपना मन लगा लिया है और प्रतिवादी के वेतन को 5500-9000 रुपये के वेतनमान में संशोधित कर दिया है, इसलिए यह प्रतिवादी को दिखाना होगा कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। हमने यहां पहले देखा है कि न तो वास्तव में और न ही कानून में, भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है।

26. हमारा ध्यान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्यूरो और केंद्रीय हिंदू निदेशालय और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आदि संस्थानों में अनुसंधान सहायकों के पद पर पदधारी समान रूप से योग्य हैं और वे समान कार्य कर रहे हैं। उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निष्कर्ष गलत निकाला गया। इसके अलावा, गणितीय सटीकता वाले किसी भी सूत्र को इस प्रकृति की स्थिति में सेवा में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय में, न्यायाधिकरण और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय, उक्त निर्णय पर पहुंचने में सही नहीं थे।

27. हालाँकि, मामले के दूसरे पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी को अल्प अवधि के लिए वेतनमान में अंतर के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया है। उसे केवल 7,000/- रुपये या उससे अधिक की राशि का हकदार माना गया है। इसलिए, हमारी राय है कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश देना चाहिए कि पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का निर्देश इस न्यायालय द्वारा हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन (सुप्रा) में पारित किया गया है:

''अदालतों को ऐसे मामलों को संयम के साथ देखना चाहिए और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वे संतुष्ट हों कि सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए प्रतिकूल है और सरकार ने निर्णय लेते समय उन कारकों को नजरअंदाज कर दिया है जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। मामले में फैसला. यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अदालत सरकार द्वारा पारित आदेश को अस्थिर मानती है तो सामान्य तौर पर राज्य सरकार या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को मामले पर पुनर्विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। न्यायालय को एक विशेष वेतनमान देने की घोषणा करने और सरकार को उसे लागू करने के लिए बाध्य करने से बचना चाहिए।''

{[देखें पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम मंजीत सिंह और अन्य। [(2006) 8 एससीसी 647]}''

28. इसलिए, हम, हालांकि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों से सहमत हैं, अपीलकर्ता के पक्ष में कोई भी राहत देने से इनकार करते हैं। हमारी उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र प्रताप भाटी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हैं। सभी व्यावहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा औरनिष्पादन औरकार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(महेन्द्र प्रताप भाटी)